Regarding the issue of demolition notice issued to residents of Burari and Timarpur area

श्री मनोज तिवारी **(**उत्तर पूर्व दिल्ली**) :** माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद।

मैं आपका ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र में लगभग दस हजार परिवारों का घर उजाड़ने की एक साजिश की तरफ दिलाना चाहता हूं। जहां हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी देश में चार करोड़ बेघरों को छत देते हैं, वह योजना दिल्ली में रोकी जाती है। ऊपर से जहां दिल्ली के बुराड़ी और तीमारपुर विधान सभा में दस हजार परिवार 40 सालों से बसे हैं, उन पर दिल्ली सरकार ऑर्डर करती है कि इनको तोड़ दिया जाए और उसे evacuee land घोषित किया जाता है।

सभापति महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माननीय उच्च न्यायालय को दिल्ली की केजरीवाल सरकार से गलत हलफनामा दिया जाता है कि वह खाली लैंड है, जबकि 40 सालों से लोग वहां बसे हुए हैं। पीएम-उदय योजना में जहां दिल्ली की सभी अनाधिकृत कालोनियों को हमारे प्रधान मंत्री जी ने ?As is, where is? मान्यता दे दी है, उसमें शामिल है, उसके बाद भी वहां के लोगों को पता ही नहीं कि उनका केस चला और वे हार गए हैं। हमें दोबारा हाई कोर्ट जाना पड़ा, तब स्टे मिला है।

माननीय सभापति महोदय, ऐसे अत्याचार के खिलाफ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस सदन के माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए।

आखिर किसको फायदा पहुँचाने के लिए केजरीवाल सरकार ने 40 साल से बने मकानों को तोड़ने की साजिश की और ऐसा घोर निन्दनीय कृत्य करने वाले लोगों को कठोर सजा देने के लिए भी कार्रवाई की जाए। सरकार हस्तक्षेप कर इन 10 हजार गरीब परिवारों को बचाने की कोशिश करे। यह हम आपसे प्रार्थना करते हैं।